राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 75/2020

रामकिशन उर्फ किशनलाल पुत्र काशीराम जाति माली निवासी बोहत तहसील मांगरोल

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)
वकील वादी : श्री हरिओम प्रजापति
दायरा दिनांकः 31.08.2020 निर्णय दिनांक : 13.08.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के आराजी खाता संख्या 809 खसरा नं0 1034 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 1035 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 1036 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 1042/3138 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1847 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 1851 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2075 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 2097 रकबा 3.95 है0, खसरा नं0 2098 रकबा 1.88 है0, खसरा नं0 2099 रकबा 1.54 है0, खसरा नं0 2100 रकबा 2.29 है0, खसरा नं0 901 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 903 रकबा 0.24 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 11.03 है0 वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम किशनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र काशीराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र काशीराम दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम किशनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र काशीराम है। जिसको वादी किशनलाल पुत्र काशीराम के स्थान पर किशनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र काशीराम दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, जनआधार आदि में रामकिशन पुत्र काशीराम दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में किशनलाल पुत्र काशीराम के स्थान पर किशंनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र काशीराम दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम किशनलाल पुत्र काशीराम के स्थान किशनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र काशीराम दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 31.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2022/1215 दिनांक 27.07.2022 के अनुसार रामकिशन पुत्र काशीराम एवं किशनलाल पुत्र काशीराम दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। रामकिशन उर्फ काशीराम को दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम किशनलाल पुत्र काशीराम के स्थान पर किशनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र काशीराम सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर आराजी खाता संख्या 809 खसरा नं0 1034 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 1035 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 1036 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 1042/3138 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1847 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 1851 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2075 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 2097 रकबा 3.95 है0, खसरा नं0 2098 रकबा 1.88 है0, खसरा नं0 2099 रकबा 1.54 है0, खसरा नं0 2100 रकबा 2.29 है0, खसरा नं0 901 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 903 रकबा 0.24 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 11.03 है0 वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम किशनलाल पुत्र काशीराम के स्थान पर किशनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र काशीराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेआम सुनाया गया।

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल (राज0)

Scanned by CamScanner